राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–521/2016

महेश चन्द गोठवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2016
आदेश की दिनांक : 17.05.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 26.03.2008 को हुई थी। अपीलार्थी ने नियुक्ति दिनांक से पूर्व ही वर्ष 2007 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। नियुक्ति के पश्चात वर्ष 2011 Orientation कोर्स भी पूरा कर लिया था। अतः अपीलार्थी यूजीसी व राजस्थान सरकार के प्रावधान के अनुसार दिनांक 26.03.2012 से वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी था, लेकिन अपीलार्थी को वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 06.09.2014 से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत भी अपीलार्थी को उक्त उपाधि संबंधी छूट प्रदान नहीं की गई।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि दिनांक 31.12.2008 से राजकीय महाविद्यालय व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान हेतु दो कोर्स व चयनित वेतनमान हेतु एक कोर्स अनिवार्य है। पीएचडी धारकों को कोर्स में छूट प्रदान नही की गई है। तकनीकी शिक्षा व संस्कृत शिक्षा के नियम राजकीय महाविद्यालय व्याख्याताओं पर लागू नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ वेतनमान हेतु दो कोर्स आवश्यक है। अपीलार्थी द्वाा दूसरा कोर्स दिनांक 06.09.2014 को पूर्ण किया गया। राज्य सरकार द्वारा कोर्स पूर्ण करने की छूट दिनांक 31.12.2013 तक प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा कोर्स दिनांक 06.09.2014 को

पूर्ण करने के कारण वरिष्ठ वेतनमान की पात्रता दिनांक 06.09.2014 को पूर्ण करने के कारण वरिष्ठ वेतनमान की पात्रता दिनांक 06.092014 को पूर्ण की है। जिससे कोर्स पूर्ण करने की तिथि से वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया। यदि राज्य सरकार द्वारा कोर्स पूर्ण करने की छूट बढ़ायी जाती है, तो अपीलार्थी के प्रकरण को रिव्यु किया जा सकेगा।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गई है या जो Orientation कोर्स जो वर्ष 2011 में पुरा किया है, उसके आधार पर अपीलार्थी को वरिष्ठ वेतनमान की छूट प्रदान नहीं की गई और अपीलार्थी को वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 06.09.2014 से स्वीकृत किया गया है, जबकि वो वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 26.03.2012 से प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थी ने कोर्स दिनांक 06.09.2014 को पुरा किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा कोर्स पुरा किये जाने की दिनांक के संबंध में दोनों पक्षों मे विवाद की स्थिति है। ऐसी स्थिति को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी अपने समस्त कोर्स पुरा करने की दिनांक के संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए एक अभ्यावेदन मय कोर्स पूरा करने के संबंध में दस्तावेजों को प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत करेगा एवं सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. उपर्युक्त निर्देश के साथ अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)